अपचार ... AC

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

10/02/23- पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 18, 19, 24 ता 28 जवाब का अवसर चाहते हैं। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से अप्रार्थी सं. 18, 19, 24 ता 28 का जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। शेष विपक्षीगण अनुप०/ अप्रार्थी सं. 1 ता 17, 20 ता 23 को कोर्ट समन से तीन बार तीन-तीन नोटिस दिलाई गई बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 1 ता 17, 20 ता 23 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। दोनों पक्षों के बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर सुनाया [?] न्यायालय [?] हुक्म [?] सुनाया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित दर्ज रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 121/2021

प्रार्थीगण :–

1. भागीरथ पुत्र माना
2. भगवाना पुत्र माना
   जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र रतना
2. भगाराम पुत्र रतना
3. लाछीदेवी पत्नी रतना
4. पुखराज पुत्र खेता
5. पाबूराम पुत्र खेता
6. पदमोदेवी पत्नी खेता
7. भीयाराम पुत्र कानाराम
8. धनाराम पुत्र कानाराम
9. हेमी पत्नी जगमालसिंह
10. मेहनराम पुत्र जगमालसिंह
11. हनुमानराम पुत्र जगमालसिंह
12. चेनीदेवी पुत्र जगमालसिंह
13. वालीदेवी पत्नी जगमालसिंह
14. केशीदेवी पत्नी जगमालसिंह
15. उमाराम पुत्र पूनमाराम
16. केशराराम पुत्र धीराराम
17. रेखाराम पुत्र पूनमाराम
    जाति जाट निवासी लाला की बेरी, बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
18. हरखाराम पुत्र घमण्डाराम
19. जोगाराम पुत्र पूनमाराम
20. रूपाराम पुत्र पूनमाराम
    जाति भील निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
21. पोकराराम पुत्र करनाराम
22. हेमाराराम पुत्र पोकराराम
    जाति विश्नोई निवासी लाला की बेरी बाण्ड, तहसील नोखड़ा
23. तहसीलदार नौखडा
24. दुर्गाराम पुत्र रूपाराम निवासी बाण्ड
25. भानाराम पुत्र रूपाराम
26. बुधराम पुत्र रूपाराम
    जाति विश्नोई निवासी लाला की बेरी तहसील नौखडा
27. गवरी पत्नी रूपाराम जाति विश्नोई निवासी बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
28. जेती पत्नी मेहराराम

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:03 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 10.02.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1, 19 एवं 24 ता 28 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जबाव आदि पेश नहीं करने से जबाव का अवसर बन्द किया, शेष

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074—2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 10.8051 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 10.8051 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखड़ा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/2/2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:03 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी